तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 175/2024 (2024/451) अनवान उर्मिला उर्फ अनु बनाम राज्य सरकार जरिये तहसीलदार झंवर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

07-5-2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीनी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम लूणावास खारा के खसरा नम्बर 1027, 1042 में सह खातेदारी कृषि भूमि में अनु पुत्री मांगीलाल के स्थान पर उर्मिला पुत्री मांगीलाल नाम का शुद्विकरण करने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीदार झंवर को तहरीर जारी कर जांच रिपोर्ट ली गई। जिसके अनुसार किसी प्रकार की स्पष्ट रिपोर्ट मय जवाब अनुशंषा के साथ प्रस्तुत नहीं की गई। इस रिपोर्ट के सलंग्न हल्का पटवारी लूणावास खारा की मौका रिपोर्ट दिनांक 25.02.2024 में अकंन किया कि अनु का सभी दस्तावेजों में नाम उर्मिला है। अनु नाम से कोइ दस्तावेज नहीं है। उपस्थित मौतबिरान तथा प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र व दस्तावेजों के अनुसार मांगीलाल की पांच पुत्रियां होना बताया है। जिसमें उर्मिला एवं अनु उर्फ उर्मिला भी होना बताया।

बहस सूनी गई। पत्रावली का अवलोकन एवं तहसीलदार झंवर की रिपोर्ट से यह साबित नही होता है कि अनु और उर्मिला एक ही महिला के नाम है या दो अलग–अलग महिला के है। प्रार्थीनी द्वारा भी ऐसा कोई ठोस सबूत/दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया कि जिसमें यह पुष्टि होती हो कि प्रार्थीनीय का सही नाम अनु नही होकर उर्मिला है।

अतः इन तमाम परिस्थितियों में प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत पोषणीय नही होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फेसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

सहायक कलक्टर एवं कार्यकारी मजिस्ट्रेट/उपखण्ड अधिकारी,
लूणी